सार-समाचार

कारगिल युद्ध शहीद दिवस मनाया

उदयपुर, (कासं)। अनुष्का ग्रुप की ओर से कारगिल विजय दिवस के इस विशेष अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों को याद कर विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। अनुष्का ग्रुप के निदेशक राजीव सुराणा ने अपने वक्तव्य के दौरान बताया कि भारत सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है एवं प्रत्येक भारतवासी को इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान संस्थान से भूपेश परमार, गौरीशंकर मालवीय, हेमंत बाबेल, हेमेंद्र वैष्णव, गोपाल प्रजापत, प्रणय जैन, हर्षिल कुमावत, मीनल शर्मा, रेखा मीणा, निर्मल मेघवाल, गिरजा सालवी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

कृषक उपहार योजना की लॉटरी निकाली

उदयपुर, (कासं)। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों के लिए जारी कृषक उपहार योजना के तहत उदयपुर कृषि उपज मण्डी की गठित समिति द्वारा लॉटरी मंगलवार को मंडी कार्यालय सभागार में निकाली गई। लॉटरी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष एडीएम सिटी व मंडी प्रशासक श्रीमती प्रभा गौतम, कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक संजीव पण्ड्या व मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने विभिन्न अधिकारियों, किसानों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों एवं मण्डी कार्यकर्ताओं के समक्ष विक्रय पर्ची एवं ई-पेमेन्ट पर जारी कूपनो की पृथक-पृथक लॉटरी निकाली। कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) उदयपुर के सचिव ने बताया कि गेट पास की विक्रय पर्चियों पर 25 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार प्रकाश पटेल, 15 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार देवीलाल व 10 हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार नारायण के नाम रहा। वहीं ई भुगतान की विक्रय पर्ची पर 25 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार जहूर मोहम्मद, 15 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार भंवरलाल व 1० हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार शिवगिरी के नाम रहा।

जागरूकता अभियान चलाया

उदयपुर, (कासं)। सदभाव सेवा फाउण्डेशन की ओर से पर्यावरण बचाने, भोजन पानी की बर्बादी रोकने के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राउप्रावि चणबोरा में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और प्रतियोगिता के विजयी विद्यार्थियों को उपहार वितरित किये। इस मौके पर फाउण्डेशन की ओर से बच्चों में स्टेशनरी, स्लीपर्स आदि वितरित किये। कार्यक्रम में फाउण्डेशन के अध्यक्ष ओम अग्रवाल ने बच्चों को कविता एवं प्रेरणास्पद बातों से छात्रों से पर्यावरण बचाने, प्लास्टिक उपयोग बंद करने, भोजन-पानी की बर्बादी रोकने आदि पर चर्चा की। कार्यक्रम में संस्था प्रधान सहित शिक्षकगण तथा फाउण्डेशन के विनोद सोलंकी, रेखा अग्रवाल, रिया बंसल, आदि उपस्थित थे।

युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर भ्रमण के लिए आए युवक की अकाल मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र स्थित होटल में ठहरे मानसरोवर जयपुर निवासी दीपक (30) पुत्र विनोद कुमार की अकाल मौत हो गई। विनोद साथियों के साथ 20 जुलाई को शहर भ्रमण के लिए आया था एवं होटल में ठहरा था। सोमवार को तबीयत खराब होने इनो पीया था। जिससे तबीयत ठीक हो गई थी। रात में दुबारा तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने मौके पर पहुंच कर मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।विनोद क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम करता था।

करंट से अधेड़ की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में विद्युत लाईन छू जाने पर करंट से झुलसने से अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अम्बामाता थाना क्षेत्र के चिकलवास ढीमड़ी गांव निवासी मेघराज (45) पुत्र दल्ला डांगी की करंट लगने से झुलसने पर मौत हो गई। मंगलवार सवेरे मेघराज अपने मकान के सामने स्थित बाड़े में मवेशियों को चारा डालने जा रहा था। इस दौरान उपर से गुजर रही विद्युत सर्विस लाईन छू जाने पर झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश ने मृतक कापेस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

अधेड़ ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। आर्थिक तंगी के चलते अधेड़ ने अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भुपालपुरा थाना क्षेत्र शास्त्री सर्कल अलका होटल के पास रहमानिया कॉलोनी निवासी ताहिर हुसैन (53) पुत्र अहमद हुसैन ने अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। ताहीर आर्थिक तंगी से परेशान था। इसी के चलते उसने फांसी लगा ली। इसका पता चलने पर परिजन फंदे से नीचे उतार परिजन उसे उपचार के लिए चिकित्सालय ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

कृषक उपहार योजना की लॉटरी आज

बड़ी सादड़ी, (कासं)। राजस्थान सरकार ने कृषि विपणन निदेशालय के तहत प्रदेश की सभी मण्डी समितियों के माध्यम से किसानों के लिए कृषक उपहार योजना लागू की है। मण्डी सचिव पंकज पारख के अनुसार उक्त योजना के तहत किसानों को मण्डी समिति में संचालित ई-नाम परियोजना अन्तर्गत इस मण्डी समिति में अपनी कृषि उपज विकय करने एवं ई-भुगतान प्राप्त करने पर निःशुल्क ई-उपहार कुपन जारी किए गए थे। योजना के तहत 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जारी कुपनों पर मण्डी समिति द्वारा गेट पास की विक्रय पर्चियों एवं ई-भुगतान की विक्रय पर्चियों पर प्रथम पुरस्कार 25 हजार, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 10 हजार रूपये दिए जायेंगे। यह पुरस्कार मण्डल स्तर पर प्रत्येक छः माह में दिए जाएंगे। पारख ने बताया कि पुरस्कार योजना अन्तर्गत मण्डी स्तर पर गठित समिति द्वारा ऑफ-लाईन लाटरी के माध्यमक से 27 जुलाई को दोपहर समिति कार्यालय में खोली जायेगी।

रक्तदान दिवस मनाया

उदयपुर, (कासं)। जायसवाल महिला क्लब उदयपुर एवं गुरुद्वारा सचखंड दरबार के सानिध्य में रक्तदान दिवस मनाया। सभी रक्त वीरों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जायसवाल युवा महिला क्लब उदयपुर की अध्यक्षा मधुबाला जायसवाल ने बताया कि शिविर में 134 यूनिट रक्तदान हुआ। जिसमें संभागीय अध्यक्षा लीना जायसवाल, विकास चौधरी, ममता चौधरी, कीर्ति सूद, सुनील गवारिया आदि ने भी रक्तदान किया।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001 दूरभाष सं.0294-2421255, 2420013, Helpline no- 0294-2426262, वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/4257 **आम-सूचना** दिनांक:-26-7-22

श्री रामचन्द्र सालवी पिता श्री जग्गु सालवी निवासी 1168, सरस्वती हॉस्पीटल के पीछे, गणेशनगर पायड़ा, उदयपुर ने वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/ मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
उदयपुर	1168, सरस्वती हॉस्पीटल के पीछे गणेशनगर पायड़ा, उदयपुर	पूर्व- गेंदीबाई का मकान पश्चिम- बंशीलाल खटीक का मकान उत्तर- किशनगिरी का मकान दक्षिण- रोड़	983 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... के जारी की गई।

आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

उदयपुर के मदार में सवा इंच बारिश, मदार छोटा तालाब पर चादर चला

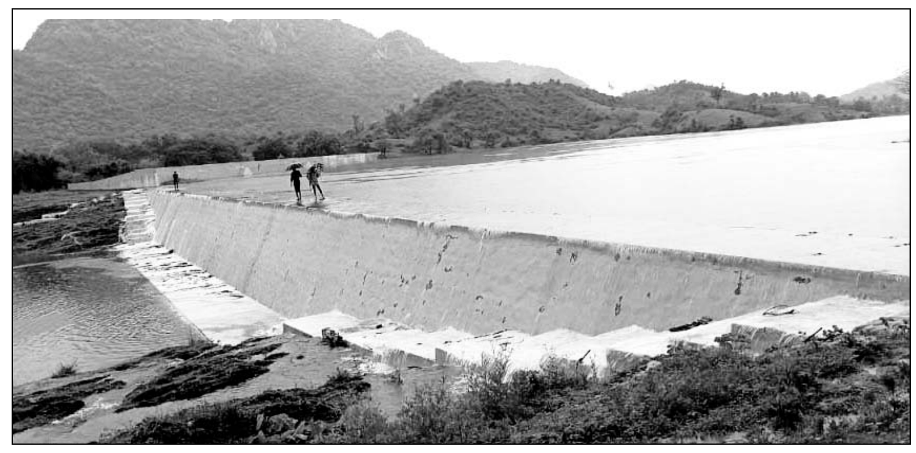

उदयपुर में मदार छोटा तालाब पर मंगलवार को चादर चल पड़ी। इसका पानी मदार नहर के जरिए फतहसागर में आ रहा है।

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर की फतहसागर झील को भरने वाले प्रमुख तालाब मदार बड़ा व छोटा दोनों ही छलक कर इन पर चादर चल रही है। मदार बड़ा का पानी 14 जुलाई से फतहसागर में आ रहा है वहीं मदार छोटा पर मंगलवार सुबह चादर चलने के साथ ही इसका पानी भी फतहसागर में आने लगा है। इधर, शाम 5 बजे तक समाप्त

- **मदार छोटा पर चादर चलने के साथ इसका पानी फतहसागर में आने लगा**
- **फतहसागर झील का जलस्तर 9 फीट 8 इंच हो गया**

बीते 12 घंटों में जहां शहर में रूक-रूक कर बूंदाबांदी हुई वहीं जिले के मदार में 34 मिमी (सवा इंच) बारिश रिकॉर्ड की गई। फतहसागर झील का जलस्तर 9 फीट 8 इंच हो गया है।

लेकसिटी में मदार छोटा छलकने से मदार नहर से हो रही आवक में और तेजी आ गई है। चिकलवास हेड जो सोमवार को 2 फीट 3 इंच बह रही थी वह आज 3 फीट 8 इंच हो गई वहीं चिकलवास टेल 1 फीट 2 इंच से बढ़कर 2 फीट 2 इंच के वेग से बहती हुई मदार नहर के जरिए फतहसागर में आ रही है। सीसारमा नदी आज भी एक फीट के वेग से बहती रही। फतहसागर झील का जलस्तर 9 फीट 8 इंच हो गया है। यह 3 फीट 4 इंच खाली रह गया है। वहीं पीछोला झील का जलस्तर 6 फीट 5 इंच बना हुआ है। पूर्ण भराव क्षमता 11 फीट से यह 4 फीट 7 इंच खाली है। सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार प्रात: 8 बजे समाप्त बीते 24 घंटों में जिले में स्वरूपसागर पर 4 मिमी, देवास स्टेज प्रथम पर 20, नाई 3, वल्लभनगर 12 व बागोलिया में 25 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। शाम 5 बजे समाप्त बीते 12 घंटों में जिले के मदार में 34 मिमी व बागोलिया में 5 मिमी बरसात हुई है।

कच्ची बस्ती निवासियों को भी मिलेंगे पट्टे

उदयपुर, (कासं)। कच्ची बस्तियों में नोटिफाइड व डी नोटिफाइड बस्तियों में पट्टे बनाने की कार्यवाही निगम द्वारा प्रारंभ हो गई है। कच्ची बस्ती सुधार समिति अध्यक्ष देवेन्द्र साहू ने बताया कि उदयपुर नगर निगम कि नोटिफाइड कच्ची बस्ती मनोहर पूरा, नीमचखेड़ा, इंद्रा नगर गोवर्धन विलास, कृष्णा कॉलोनी, बंजारा बस्ती, मठमादड़ी आदि बस्तियों में दिसंबर 2021 के सर्वेनुसार 200 वर्गगज तक पट्टे दिये जा सकेंगे। डी नोटिफाइड बस्तियों में धारा 1974 के तहत अरक्षित दर के 10 प्रतिशत से 200 वर्ग गज के पट्टे दिये जा सकेंगे।

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ/90क/22/14039 दिनांक: 25.07.22

लोक -सूचना

श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री प्रकाशचन्द्र जी काबरा निवासी लालबाग, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथद्वारा	305	रकबा 0.2656 हैक्टर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.7.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ/90क/22/14051 दिनांक: 25.07.22

लोक -सूचना

श्री प्रकाशचन्द्र काबरा पिता स्व.श्री मदनलाल काबरा निवासी लालबाग, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	भलावतों का खेड़ा	348	कुल रकबा 0.0253 हैक्टर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.7.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ/90क/22/14036 दिनांक: 25.07.22

लोक -सूचना

श्री प्रकाशचन्द्र काबरा पिता स्व.श्री मदनलाल काबरा निवासी लालबाग, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	भलावतों का खेड़ा	346,979/340	रकबा 0.2569 हैक्टर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.7.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ/90क/22/14042 दिनांक: 25.07.22

लोक -सूचना

श्री प्रकाशचन्द्र काबरा पिता स्व.श्री मदनलाल काबरा निवासी लालबाग, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	भलावतों का खेड़ा	254	रकबा 0.03190 हैक्टर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.72022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ/90क/22/14047 दिनांक: 25.07.22

लोक -सूचना

श्री प्रकाशचन्द्र काबरा पिता स्व.श्री मदनलाल काबरा निवासी लालबाग, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथूवास	1536/216, 1542/246	रकबा 0.0316 हैक्टर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.7.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

विद्यार्थी केरियर की शुरूआत गांवों से करें : प्रो. सारंगदेवोत

विद्यापीठ के साकरोदा सेंटर पर ग्रामीण केम्प को कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत (बीच में) ने संबोधित किया।

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विवि के संघटक डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर साईंस एण्ड आईटी विभाग के बीसीए के छात्र छात्राओं को कम्युनिटी बेस

- **साकरोदा सेंटर पर ग्रामीण शिविर का हुआ आयोजन**

शिक्षा से जोडने के उद्देश्य से विद्यापीठ के साकरोदा सेंटर पर आयोजित ग्रामीण केम्प का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने विद्यार्थियो का आव्हान किया कि वे ऐसा कार्य करे जिसका लाभ ग्रामीणजन को हो। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। आज शहर एवं गांवो के अंतर को कम होगा। आज गांवों से शहरों की ओर पलायान हो रहा है इस कारण शहरों पर दबाव बढ रहा है जिसे रोकना होगा। विद्यार्थी अपने केरियर की शुरूआत गांवों से करें और नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनें। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्याहारिक ज्ञान को भी अपने जीवन में उतारेगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। पढाई के दौरान अपने आसपास के गांवों में जायें, उनका जीवन देखे, उनकी समस्याओं को जाने व उसका समाधान करने का प्रयास करें।

प्रारंभ में निदेशक प्रो. मंजू मांडोत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। शिविर में विद्यार्थियों ने ग्रामीण महिलाओं से बातचीत की व उनकी दिनचर्या व समस्याओं के बारे में जाना। कार्यक्रम बालकृष्ण शुक्ला ने विद्यार्थी एवं ग्रामीण महिलाओं को टमाटर सोस एवं अमृतधारा की गोलिया बनाने की विधि सिखाई। संचालन डॉ. भारत सिंह देवड़ा ने किया जबकि आभार केन्द्र प्रभारी डॉ. राकेश दाधीच ने दिया। कार्यक्रम में डॉ. दिलिप चौधरी, डॉ. भरत सुखवाल, डॉ. प्रियंका सोनी सहित विद्यार्थी उपस्थित थे।

रोडवेज बस ने युवक को कुचला

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल चौराहा पर रोड़वेज बस ने राह चलते युवक को कुचल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपोल थाना क्षैत्र सूरजपोल चौराहा पर मंगलवार को राह चलते युवक को रोड़वेज बस ने कुचल दिया। जिससे हाउसिंग बोर्ड कॉलेनी प्रतापनगर निवासी किशोर (45)पुत्र पवनदास छाबड़ा की मौत हो गई। किशोर सूरजपोल चौराहा पर पर शिकंजी का ठेला लगाने वाले अपने भाई के पास काम करता था। मंगलवार को वह पैदल काम से जा रहा था। जहां बीच रास्ते सूरजपोल चौराहा पर उदयपुर से अजमेर जा रही रोड़वेज बस ने उसे कुचल दिया जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसको देख चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बस जब्त कर चालक की तलाश शुरू की। इधर हादसे में गंभीर घायल होने पर उपचार के लिए एमबी चिकित्सलय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

मूत्राशय से निकाला 7 सेंटीमीटर का स्टोन, मरीज को मिली दर्द से राहत

पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में मरीज के साथ डॉक्टर्स टीम।

उदयपुर, (कासं)। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में 50 वर्षीय कुइया राम के मूत्राशय से 7 सेन्टीमीटर का स्टोन निकालकर उसे दर्द से निजात दिलाई। इस सफल ऑपरेशन में सर्जन डॉ. गुरुदत्त, डॉ. कोनार्क ठक्कर, डॉ.जोयश, ऐनेस्थेटिस्ट डॉ.स्वाति शर्मा,चन्द्रमोहन शर्मा. धनश्याम एवं कैलाश की टीम का सहयोग रहा। जालौर निवासी 50 वर्षीय कुइया राम को पिछले एक साल से पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत के चलते

- **पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में किया ऑपरेशन**

परिजन उसे पीएमसीएच लेकर आए यहॉ इन्होंने कुइया राम को सर्जरी विभाग में डॉ. कोनार्क को दिखाया तो सोनोग्राफी एवं एक्सरे की जांच करने पर मरीज के मूत्राशय में पथरी का पता चला जिसका कि ऑपरेशन द्वारा ही इलाज सम्भव था।

डॉ.कोनार्क ठक्कर ने बताया कि यूरोलॉजी विभाग के डॉ. हनुवन्त सिंह के निर्देशन में किए गए इस सफल ऑपरेशन में मरीज के मूत्राशय से 7 सेन्टीमीटर का एक स्टोन निकाला।

परिजनों ने पीएमसीएच के चेयरमैन राहुल अग्रवाल, सभी चिकित्सकों, मैनेजमेंट, नर्सिंग कर्मियों एवं स्टॉफ का आभार जताया। कुइया राम अभी पूरी तरह से स्वस्थ्य है और उसे छुट्टी दे दी गई है।

आग लगने से वृद्धा की मौत

उदयपुर, (कासं)। गोगुन्दा कस्बे में मच्छरों से बचने के लिए आग लगा कर झोंपड़ी में सोई वृद्धा की झुलसने से मौत हो गई। दो दिन बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोगुन्दा कस्बे के गारियों का गुड़ा भील बस्ती निवासी नन्दूबाई गमेती (75) पत्नी भीमाजी की अपने ही झोपड़ पट्टी में आग लगने से झुलसने पर मौत हो गई। नन्दूबाई की तीन पुत्र है तीनों अलग अलग मकान में रहते है। नन्दू बाई अपनी इच्छानुसार किसी भी पुत्र के वहां एवं गांव में रहने वाले धर्म भाई के वहां खाना खा कर घर लौट आती थी। वह अपने घर में सोते समय मच्छरों से बचने के लिए गोबर के कण्डों में आग लगाया करती थी।

मंडी समिति ने ई-कूपनों की निकाली लॉटरी

कपासन में राजस्थान सरकार और कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना 2020-21 की लॉटरी निकाली गई।

कपासन, (निसं)। कपासन में सोमवार को कृषि उपज मंडी के सभा कक्ष में राजस्थान सरकार और कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना 2020-21 की लॉटरी निकाली गई। जिसमें कृषि उपज विक्रय करने हेतु मंडी में लेकर आने वाले कृषकों को ई-नाम पोर्टल

- **विजेता किसानों को मिला पुरस्कार**

के माध्यम से ई-भुगतान प्राप्त करने पर निशुल्क ई-उपहार कूपन मंडी समिति के माध्यम से जारी किए गए।

कूपन 1 जनवरी से 30 जून तक जारी किए थे। जिसमें गेट पास विक्रय पर्ची पर प्रथम पुरस्कार राशमी क्षेत्र के गांव जालपुरा के राजू लाल अहीर, द्वितीय गांव किरखेड़ा चाकुडा निवासी प्रहलाद किर और तृतीय कपासन निवासी जीवन कुमावत के नाम खुला। वहीं ई भुगतान की विक्रय पर्ची की लॉटरी में प्रथम पुरस्कार गांव भादसोड़ा के ओंकारलाल, द्वितीय गांव हिंगोरिया के रतन लाल और तृतीय राशमी क्षेत्र के गांव पावली निवासी कपिल के नाम निकली। दोनों पुरुस्कारों में क्रमश प्रथम पुरस्कार 25 हजार, द्वितीय 15 हजार और तृतीय 10 हजार रुपए की इनाम राशि है। बता दें कि मंडी समिति के सभाकक्ष में उपस्थित अधिकारियों, किसानों, व्यापारियों एवं मंडी कार्यकर्ताओं के समक्ष लॉटरी निकाली गई। जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लॉटरी खोलने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष प्रतिनिधी कार्यवाहक तहसीलदार ईशाक मोहम्मद, कृषि विपणन विभाग के सयुक्त निदेशक संजीव पण्ड्या, एवं स्थानीय मंडी सचिवकुंदन देवल के द्वारा लॉटरी निकाली गई।

UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED
(CIN: L26943RJ1993PLC007267)
Regd. Office: Shripati Nagar, CFA, P.O.: Dabok, Udaipur-313 022 (Rajasthan)
Admin Office: Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Email: ucwl.investors@jkmail.com, Website: www.udaipurcement.com, Tele/Fax: 0294-2655076/77

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022

(Amount in ₹ Crs.)

Sl. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2022 (Unaudited)	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	278.11	216.33	875.98
2	Profit Before Interest, Depreciation & Taxes (EBITDA)	40.43	43.17	153.82
3	Net Profit / (Loss) for the Period (before Tax and Exceptional Items)	18.97	22.60	68.41
4	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (after Exceptional Items)	18.97	22.60	64.81
5	Net Profit / (Loss) for the Period After Tax (after Exceptional Items)	13.57	16.89	48.66
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	13.53	16.84	48.43
7	Paid-up Equity Share Capital (Face Value ₹ 4/- per Share)	124.56	124.56	124.56
8	Other Equity (excld. Revaluation Reserve)			170.00
9	Earnings Per Share (of ₹ 4/- each) (Not Annualised) Basic / Diluted	0.44	0.54	1.56

Notes:

(1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 26th July, 2022.

(2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on Company's website at www.udaipurcement.com.

Place: New Delhi
Date: 26th July, 2022

Vinita Singhania
Chairperson

UCWL UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED
(A subsidiary of JK Lakshmi Cement Ltd.)